



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1940 (श०)

(सं० पटना 1217) पटना, सोमवार, 31 दिसम्बर 2018

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2018

अधिसूचना संख्या 30/2018—राज्य कर (दर)

एस० ओ० 284, दिनांक 31 दिसम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र—विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करते हैं, यथा :—

“स्पष्टीकरण 2- इस मद में निहित कोई भी बात भारत में एक स्थान से भारत में ही दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न अन्य किसी सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी । ” ।

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा ।
3. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017(खंड—4)—7271)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव ।

31 दिसम्बर 2018

एस० ओ० 284 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21/2017(खंड—4)—7271)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 31st December 2018

Notification no. 30/2018- State Tax (Rate)

S.O. 284, Date 31st December, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification No.11/2017 – State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 554, dated the 29th June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:-

“Explanation 2.-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. The existing *Explanation* in the above items shall be renumbered as *Explanation 1*.

3. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-7271)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1217-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>